कार्यालय तहसीलदार कठूमर जिला अलवर (राज०)

प्रकरण सं. 15/2017 धारा 91 LR Act निर्णयदि० 23/2/18

## निर्णय

संक्षेप मे वृतान्त निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का सालवाडी ने इस न्यायालय को इस आशय की रिपोर्ट की है कि सम्वत 2073 मे आ० ख० नं. 458 कुल रकबा 0.09 है० किस्म गैर मुमकिन बंजड़ मे से 0.09 रकबे पर जोत लगाकर अप्रार्थी श्री विरेन्द्र सिंह S/o श्री अमरसिंह राजपूत नि० पीपलखेडा ने अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अप्रार्थी के विरुद्ध धारा 91 LR Act के अन्तर्गत नोटिस जारी कर तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी उपस्थित आया। अप्रार्थी की ओर से श्री BC Jain ADV. उपस्थित आये। तथा वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। तथा जवाब नोटिस पेश किया। अप्रार्थी ने अपने जवाब एवं प्रार्थनापत्र मे वाके ग्राम पीपलखेडा के आ० ख० नं. 458 रकबा 0.09 है० वाके ग्राम पीपलखेडा को अप्रार्थी के नाम स्माल स्ट्रिप के रूप मे रेग्युलाईज करने का निवेदन किया है तथा अप्रार्थी ने उक्त रकबे पर पुराने समय से कब्जा होना अवगत कराया है।

हमने पत्रावली का गौरपूर्वक अध्ययन किया। पे० सा० का का राजकीय भूमि पर अतिक्रमण बखूबी साबित होता है। अत: अप्रार्थी को आ० मु० से बेदखल किया जाता है। तथा पैनल्टी 1.00 Rs. के हिसाब से 50 गुणा 50/- Rs. शास्ति आरोपित की जाती है। तथा अप्रार्थी को मौके से बेदखल किया जाता है। प० ह० / TRA को मांग कायमी हेतु अहकाम जारी हो। पटवारी हल्का को मौके से बेदखल करने, खसरा वही मे अंकन करने हेतु अहकाम जारी हो। पत्रावली मिसल शुमार होकर व नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

तहसीलदार कठूमर (अलवर)